संख्या-5/2022-बी-3- आई/131591 /दस-2022

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन/महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉकः 26 अप्रैल, 2022

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय, भवन मरम्मत/विस्तार क्रय अग्रिम के ऑकड़ों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-7/2021/बी-3-289/दस-2021- 21(10)/2008, दिनांक 27.08.2021 एवं पत्र संख्या-1/2022/बी-3/दस-2022-20(10)/2008, दिनांक 18.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः प्रथम व तृतीय त्रैमास आंकडों के मिलान के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc) के ऑकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से नही कराया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऑकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अतः जिन नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-5/2022-बी-3- आई/131591 /दस-2022 तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-टी.एम.।।/ग्रुप IV/दीर्घकालीन अग्रिम मिलान/117, दिनांक 01.04.2022 के संदर्भ में।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।

5- राज्यपाल सचिवालय।

6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।